



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई, 2020-आषाढ़ 12, शके 1942

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

**मध्यप्रदेश ग्रा. मु. वि. शि. सं. संस्था नियम-अधिनियम क्रमांक सन् 2020**

**ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान अधिनियम, 2020**

(दिनांक 1 जून, 2020 को संस्था अध्यक्ष महोदय की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण अथवा साधारण)” में दिनांक 9 जून, 2020.

मध्यप्रदेश राज्य में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के विकास, दूरस्थ शिक्षा माध्यम से ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार के लिए ग्रा.मु.वि.शि.सं. को स्थापित और निगमित करने और सशक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

साधारण सभा के पाँचवें वर्ष में मध्यप्रदेश कार्य बैठक द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

#### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, अधिनियम, 2020 है. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.
- (3) यह ऐसी तारीख हो प्रवृत्त होगा, जो ग्रा.मु.वि.शि.सं. अधिसूचना द्वारा नियत करें.

#### 2. परिभाषाएं—

- (2) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—
  - (क) “विद्या परिषद्” से अभिप्रेत है ग्रा.मु.वि.शि.सं. की विद्या परिषद्;
  - (ख) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है ग्रा.मु.वि.शि.सं. का अध्यक्ष;
  - (ग) “कार्य परिषद्” से अभिप्रेत है ग्रा.मु.वि.शि.सं. की कार्य परिषद्;
  - (घ) “साधारण परिषद्” से अभिप्रेत है ग्रा.मु.वि.शि.सं. का साधारण परिषद्;
  - (ङ.) “महासचिव” से अभिप्रेत है ग्रा.मु.वि.शि.सं. का प्रति महासचिव;
  - (च) “सचिव” से अभिप्रेत है ग्रा.मु.वि.शि.सं. का सचिव;

- (छ) राज्य महानिदेशक अभिप्रेत है ग्रा.मु.वि.शि.सं. का महानिदेशक;
- (ज) राज्य निदेशक अभिप्रेत है ग्रा.मु.वि.शि.सं. का निदेशक;
- (झ) “नियम”, “आदेश” तथा “विनियम” से अभिप्रेत है ग्रा.मु.वि.शि.सं. के तत्समय प्रवृत्त नियम, आदेश तथा विनियम;

### 3. ग्रा.मु.वि.शि.सं./जी.एम.वी.एस.एस. की स्थापना तथा उसका निगमन—

- (क) “ग्रा.मु.वि.शि.सं.” से अभिप्रेत है संस्था पंजीकरण अधिनियम 21,1860 संख्या डी.ई/सोसायटी/1257/2015 दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के अधीन स्थापित की गयी ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान;
- (ख) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है ग्रा.मु.वि.शि.सं. का अध्यक्ष;

### ग्रा.मु.वि.शि.सं. की स्थापना तथा उसका निगमन

- 3 (1) मध्यप्रदेश राज्य में ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के नाम से बोर्ड का राज्य कार्यालय स्थापित किया जाएगा.
- (2) ग्रा.मु.वि.शि.सं. का राज्य मुख्यालय भोपाल में होगा.
- (3) ग्रा.मु.वि.शि.सं. पूर्वोक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों रहते हुए, चल तथा अचल दोनों संपत्ति अर्जित करने और धारित करने, उसके द्वारा धारित किसी संपत्ति का अंतरण करने और संचालित करने और इसके गठन के प्रयोजनों के लिए समस्त अन्य आवश्यक कृत्य की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा.
- (4) ग्रा.मु.वि.शि.सं. द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वादों और कार्यवाहियों में अभिवचन, अध्यक्ष या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि या उसके नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किए जाएंगे और ऐसे वादों तथा ऐसी कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं, अध्यक्ष को जारी की जाएंगी और उस पर तामील की जाएंगी.

### 4. ग्रा.मु.वि.शि.सं. के उद्देश्य—

4. ग्रा.मु.वि.शि.सं. का मुख्य उद्देश्य, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का प्रचार-प्रसार करना है तथा उस समाज को शिक्षित बनाना है जो किन्हीं कारणों से अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हैं. उपरोक्त उद्देश्यों की व्यापकता को प्रभावित किए बिना ग्रा.मु.वि.शि.सं. के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे.
- (एक) विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, कला, दर्शन व्यावसायिक पाठ्यक्रम और अन्य विधाओं के अध्ययन और गवेषणा को प्रोन्नत करना, संकलित करना और संरक्षित करना;
- (दो) हिन्दी भाषा में शिक्षा को और प्रोन्नत करना और उसका प्रसार करना और इस प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए अन्य भाषाओं से अनुवाद करना, प्रकाशन, दृश्य और दूरस्थ शिक्षा का उपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी और रोजगार कौशल तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालित करना;
- (तीन) हिन्दी भाषा के ज्ञान को प्रोन्नत करने के लिए अभिभाषणों, सेमीनारों, परिसंवादों, अधिवेशनों का आयोजन करना;
- (चार) विभिन्न विधाओं में शिक्षण तथा प्रशिक्षण को प्रोन्नत करना, जैसा कि ग्रा.मु.वि.शि.सं. ठीक समझे और गवेषणा कार्य किए जाने का इंतजाम करना;
- (पाँच) सभी धर्मों और मुख्य प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों के अध्ययन तथा घोषणा कार्य को प्रोत्साहित करना;
- (छह) परीक्षा संचालित करना और मानद उपाधियाँ और अन्य विशिष्टियाँ प्रदान करना;
- (सात) ऐसे समस्त कार्य करना जो ग्रा.मु.वि.शि.सं. के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने में आनुषंगिक, आवश्यक या सहायक हों.

### 5. अधिकारिता—

ग्रा.मु.वि.शि.सं. की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा परन्तु ग्रा.मु.वि.शि.सं. व उसके अध्यापन या गवेषणा संबंधी क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप को अंशतः या पूर्णतः चलाने के लिये मध्यप्रदेश राज्य से बाहर या विदेश में की किसी संस्था के साथ सहयोग के लिये अनुमति दे सकेगी.

### 6. ग्रा.मु.वि.शि.सं. से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिरोध—

ग्रा.मु.वि.शि.सं. भारत के किसी नागरिक के विरुद्ध इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने या उस पर अधिरोपित कृत्यों का पालन करने में धर्म, वंश, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, राजनैतिक या अन्य अभिमत के आधार पर या उनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा.

**7. ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड की शक्तियां और उसके कृत्य—**

ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे :-

- (एक) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड की गवेषणा, शिक्षा और शिक्षण के लिए बोर्ड के अधीन स्थापित किए गए केन्द्रों तथा संस्थाओं को प्रशासन एवं प्रबंध करना, जो ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु आवश्यक है;
- (दो) व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा अन्य नूतन विषय पाठ्यक्रम तैयार करने तथा उनके अध्ययन का तथा अभ्यास और अध्ययन के प्रभावी तरीकों का प्रबंध करना;
- (तीन) दूरस्थ शिक्षा का ज्ञान या विद्या की ऐसी शाखाओं में, जैसा कि ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड उचित समझे, शिक्षण हेतु उपबंध करना और गवेषणा के लिए और दूरस्थ शिक्षा के ज्ञान के विकास तथा प्रसार के लिए उपबंध करना;
- (चार) सामाजिक विकास के समस्त पहलुओं पर गवेषणा कार्य को प्रायोजित करना तथा हाथ में लेना;
- (पाँच) उपाधि, उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम हेतु अर्हताएं विहित करना और बोर्ड में छात्रों के प्रवेश को विनियमित करना;
- (छह) बहिर्वर्ती शिक्षण और विस्तारी सेवाओं को आयोजित करना और उनका जिम्मा लेना;
- (सात) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी कि बोर्ड अवधारित करें, परीक्षाएं आयोजित करना तथा व्यक्तियों को उपाधि पत्र या प्रमाण-पत्र देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना और ऐसे किन्हीं उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं का उचित तथा पर्याप्त कारणों से प्रत्याहरण करना;
- (आठ) नियमों में अधिकथित रीति में सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;
- (नौ) फीस तथा अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना और प्राप्त करना;
- (दस) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के कर्मचारियों में अनुशासन विनियमिता करना तथा उसका पालन करवाना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना, जो आवश्यक समझे जाएं;
- (ग्यारह) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार तथा पदक संस्थित करना तथा प्रदान करना;
- (बारह) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड की किन्हीं कक्षाओं या विभागों को समाप्त करना या उनका चलाना बंद करना;
- (तेरह) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के व्ययों का विनियमन करना तथा उसके लेखाओं का प्रारंभ करना;
- (चौदह) ऐसे अनुदान आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान तथा दान प्राप्त करना, जो ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के प्रयोजनों के लिए हों तथा जो उन उद्देश्यों से संगत हों, जिनके लिए बोर्ड स्थापित किया गया है;
- (पन्द्रह) कोई ऐसी भूमि या भवन या संकर्म, जो ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो कि ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड ठीक तथा उचित समझे, क्रय करना, पट्टे पर प्राप्त करना या दान के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या संकर्म सन्निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना और उसे बनाए रखना;
- (सोलह) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड की जंगम तथा स्थावर सम्पत्तियों या उनके किसी भाग का, ऐसे निबंधनों पर, जो वह ठीक तथा उचित समझे तथा ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के हित तथा कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, विक्रय करना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या उनको अन्यथा व्ययन करना;
- (सत्रह) वचन-पत्रों (प्रामिसरी नोट), विनिमय पत्रों, बैंकों या अन्य परक्राम्य लिखतों का आहरण तथा प्रतिगृहित करना, लिखना और पृष्ठांकन करना, बट्टा (डिस्काउंट) देना और परक्रामण (नैगोशिएट) करना;
- (अठारह) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड की समस्त या किन्हीं भी सम्पत्तियों या आस्तियों के आधार पर या उन पर आधारित बन्धपत्रों, बन्धकों, वचन-पत्रों या अन्य बाध्यताओं अथवा प्रतिभूतियों पर या किन्हीं प्रतिभूतियों के बिना ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जैसे कि वह उचित समझे, धन प्राप्त करना तथा उधार लेना और धन प्राप्त करने से आनुषंगिक समस्त व्ययों का भुगतान ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड की निधियों में से करना और उधार लिये गये किसी धन का प्रतिदाय तथा मोचन करना;
- (उन्नीस) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड की निधियां या ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड को सौंपी गई निधि, ऐसी प्रतिभूतियों में या पर तथा ऐसी रीति में, जो वह उचित समझे, विनिहित करना और किसी विनिधान का, समय-समय पर, अंतर्विनिमय (ट्रान्सफोज) करना;
- (बीस) ऐसे विनियम बनाना, जो समय-समय पर ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के कार्यकलापों तथा प्रबंध का विनियमन करने के लिए आवश्यक समझे जाएं और उनमें परिवर्तन करना, उपांतरण करना तथा उन्हें विखण्डित करना;
- (इक्कीस) समस्त ऐसे अन्य कार्य तथा बातें करना, जो ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड अपने समस्त या उनमें से किसी उद्देश्य को प्राप्त करने या उनमें अभिवृद्धि करने के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे.

**8. ग्रा.मु.वि.शि.सं.बोर्ड का अध्यक्ष—**

- (1) संस्था का निर्वाचित अध्यक्ष ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड का अध्यक्ष होगा।
- (2) अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे वह निर्देश दे, ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड, उसके भवनों, पुस्तकालयों तथा उपकरणों का और ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड द्वारा संधारित का और ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन तथा किए गए अन्य कार्यों का निरीक्षण करवाए और उसी रीति में ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के प्रशासन तथा वित्त व्यवस्था से संबंधित किसी मामले के संबंध में जाँच करवाए।
- (3) अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में ऐसा निरीक्षण या जाँच कराए जाने के अपने आशय को सूचना ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड को देगा और ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड इस हेतु हकदार होगा कि वह एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करें, जिसे यह अधिकार होगा कि वह ऐसे निरीक्षण या जाँच में उपस्थित रहे तथा उसकी सुनवाई की जाए।
- (4) अध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या ऐसी जाँच के परिणाम के संदर्भ में महासचिव/सचिव को संबोधित कर सकेगा और महासचिव, अध्यक्ष के विचार और उसके साथ उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में अध्यक्ष द्वारा दी गई सलाह, कार्य परिषद् को संसूचित करेगा।
- (5) कार्य परिषद्, महासचिव के माध्यम से अध्यक्ष को, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो उसके द्वारा ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के संबंध में की जाना प्रस्तावित है या जो की गई है, संसूचित करेगी।
- (6) जहां कार्य परिषद् या प्रबंधन, युक्तियुक्त समय के भीतर, अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप से कार्रवाई नहीं करता है, तो अध्यक्ष, कार्य परिषद् या प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गये किसी स्पष्टीकरण या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् संस्था के परामर्श से ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जैसे कि वह उचित समझे और यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबंधन इसका अनुपालन करेंगे।

**9. ग्रा.मु.वि.शि.सं.बोर्ड के प्राधिकारी—**

ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-

- (एक) साधारण परिषद्;
- (दो) कार्य परिषद्;
- (तीन) विद्या परिषद्;
- (चार) वित्त समिति; और
- (पाँच) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

**10. ग्रा.मु.वि.शि.सं.बोर्ड की एक साधारण परिषद् होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—**एक-पदेन सदस्य

- (एक) मध्यप्रदेश राज्य का महानिदेशक;
- (दो) मध्यप्रदेश राज्य का निदेशक;
- (तीन) मध्यप्रदेश राज्य का कोई समन्वयक;
- (चार) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड का सचिव;
- (पाँच) मध्यप्रदेश जाँच कमेटी अधिकारी,
- (छह) मध्यप्रदेश छात्र सेवा समर्थन का सदस्य;
- (सात) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड का राज्य कानूनी सलाहकार;
- (आठ) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान का प्राचार्य।

दो-नामनिर्दिष्ट सदस्य

- (नौ) शिक्षा, संस्कृति, कला, सामाजिक कार्य, उद्योग कृषि या अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट छह सदस्य जिनमें अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों का, प्रत्येक का एक-एक व्यक्ति होगा;
- (दस) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विख्यात शिक्षाविद, जिनमें से एक महिला होगी;
- (ग्यारह) भाषा या साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर सम्मानित अध्यक्ष का एक नामनिर्देशिनी;
- (बारह) मध्यप्रदेश के अध्ययन केन्द्र/परीक्षा केन्द्र के अध्यापक/आचार्य में से ग्रा.मु.वि. शि.सं. बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट छह सदस्य जिनमें एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का होगा;

**11. साधारण परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव—**

- (1) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड का अध्यक्ष, साधारण परिषद् का अध्यक्ष (चेयरमैन) होगा.
- (2) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड का राज्य महानिदेशक, साधारण परिषद् का उपाध्यक्ष (वाईस-चेयरमैन) होगा.
- (3) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड का सचिव, साधारण परिषद् का सचिव होगा.

**12. साधारण परिषद् के सदस्यों की पदावधि—**

- (1) उपधारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए साधारण परिषद् के सदस्यों की पदावधि चार वर्ष होगी.
- (2) जहां साधारण परिषद् का कोई सदस्य उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण साधारण परिषद् का ऐसा सदस्य हो जाता है या वह नामनिर्दिष्ट सदस्य है, वहां उसकी सदस्यता बत समाप्त हो जाएगी, जबकि यथास्थिति, उसका ऐसा पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए या उसका नामनिर्देशन वापस ले लिया जाए या रद्द कर दिया जाए.
- (3) साधारण परिषद् का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह पद त्याग देता है या विकृतिचित या दिवालिया हो जाता है या वह नैतिक अक्षमता अन्तर्वर्लित होने वाले किसी दण्डक अपराध के लिये सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है या यदि सचिव से भिन्न कोई सदस्य ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह साधारण परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों में अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के हितों के विरुद्ध कार्य करता है.
- (4) साधारण परिषद् का कोई सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र जैसे ही अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, प्रभावी हो जाएगा.
- (5) साधारण परिषद् में कोई रिक्ति, उसे भरने के लिये हकदार संबंधित अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति केवल उस समय तक पद धारण करेगा, जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि रिक्ति नहीं हुई होती तो पद धारण करता.

**13. साधारण परिषद् की शक्तियां—**

साधारण परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थातः—

- (एक) धारा-7 में अधिकथित ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड की शक्तियों तथा कृत्यों का, सिवाय ऐसी शक्तियों के, जो ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को दी गई हैं, प्रयोग करना;
- (दो) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड की व्यापक नीतियों तथा कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के सुधार तथा विकास के लिये उपाय करना ;
- (तीन) वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलन, वार्षिक लेखे और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना, जैसा कि ठीक समझा जाए;
- (चार) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के सचिव या ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड की किसी समिति या उसकी उप-समिति या उसके किसी एक या अधिक सदस्यों या किसी कर्मचारी को अपनी समस्त शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति प्रत्यायोजित करना; और
- (पाँच) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के दक्ष कार्यकरण तथा प्रशासन के लिए वह आवश्यक समझे.

**14. साधारण परिषद् का सम्मिलन—**

- (1) साधारण परिषद् का वर्ष में कम से कम एक सम्मिलन होगा और उसके सम्मिलनों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सूचना दी जाएगी.
- (2) अध्यक्ष, सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थिति में उपस्थित सदस्य, सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे.
- (3) साधारण परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से सम्मिलन की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से सम्मिलन की गणपूर्ति होगी.
- (4) प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि साधारण परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हैं तो अध्यक्ष या सम्मिलन की अध्यक्ष या सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का, उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा.
- (5) यदि साधारण परिषद् द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाना आवश्यक हो जाए, तो अध्यक्ष, साधारण परिषद् के सदस्यों में कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा और की जाने के लिए प्रस्तावित

कार्रवाई तब नहीं की जाएगी तब तक की साधारण परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसकी सहमति नहीं दे दी जाती हैं और इस प्रकार की कार्रवाई की सूचना साधारण परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त दी जाएगी और कागज-पत्र, साधारण परिषद् के आगामी सम्मिलन के समक्ष उसकी पुष्टि के लिए रखे जाएंगे।

- (6) पिछले वर्ष के दौरान ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के कार्यकरण की एक रिपोर्ट और उसके साथ प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण, सम्यकरूप से संपरीक्षित तुलना-पत्र और वित्तीय प्राक्कलन, कुलपति द्वारा साधारण परिषद् के समक्ष उसके वार्षिक सम्मिलन में रखे जाएंगे।

#### 15. कार्य परिषद् —

- (1) कार्य परिषद् ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।  
 (2) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड का प्रशासन, प्रबंध तथा नियंत्रण और उसकी आय, कार्य-परिषद् में निहित होगी जो विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को नियंत्रण और प्रशासित करेगी।

#### 16. कार्य परिषद् का अध्यक्ष तथा सदस्य —

- (1) सचिव, कार्य परिषद् का अध्यक्ष (चेयरमैन) होगा,  
 (2) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—  
 (एक) सचिव;  
 (दो) साधारण परिषद् के दो सदस्य, जो साधारण परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;  
 (तीन) मध्यप्रदेश राज्य का महानिदेशक;  
 (चार) मध्यप्रदेश राज्य का निदेशक;  
 (पाँच) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के दो पूर्णकालिक कर्मचारी, जो ज्येष्ठता-सह-योग्यता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा होंगे, जिनमें से एक अनुसूचित जाति का होगा;  
 (छह) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति, जिनमें से एक महिला होगी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो;  
 (सात) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट चार व्यक्ति-दो विद्वान तथा किसी भी क्षेत्र से दो विख्यात व्यक्ति, इन चार व्यक्तियों में से अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक का एक-एक व्यक्ति होगा।

#### 17. कार्य परिषद् की पदावधि —

- (1) जहां कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण कार्य परिषद् का सदस्य हो जाता है वहां उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी, जबकि उसका ऐसा पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए।  
 (2) कार्य परिषद् का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह पद त्याग देता है या विकृतचित्त या दिवालिया हो जाता है या वह नैतिक अक्षमता अन्तर्वलित होने वाले किसी दण्डक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है या यदि महासचिव/सचिव या संकाय के किसी सदस्य से भिन्न कोई सदस्य बोर्ड में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह कार्य परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों में, कार्य परिषद् के अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या बोर्ड के हितों के विरुद्ध कार्य करता है।  
 (3) जब तक कि कार्य परिषद् की उनकी सदस्यता उपधारा (1) या (2) में उपबोधित किए गए अनुसार पूर्व में ही समाप्त नहीं हो जाती हैं, कार्य परिषद् के सदस्य उस तारीख से, जिसको कि वे कार्य परिषद् के सदस्य हो जाते हैं, तीन वर्ष समाप्त हो जाने पर अपनी सदस्यता त्याग देंगे।

#### 18. कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य—

धारा-14 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यपरिषद् शक्तियां और कृत्य होंगे:—

- (एक) विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड में अध्यापन पदों को सृजित करना, समाप्त करना या वर्गीकृत करना और उनसे संलग्न अर्हताएं परिलब्धियां तथा कर्तव्य अवधारित करना परन्तु अध्यापन पद संस्था के पूर्व अनुमोदन से सृजित किए जाएंगे;  
 (दो) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज और अन्य समस्त प्रशासनिक कार्यकलापों की व्यवस्था करना और विनियमित करना और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अधिकर्ता नियुक्त करना, जैसा कि वह उचित समझे;  
 (तीन) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण प्रतिगृहीत करना;  
 (चार) बोर्ड की ओर से सविदाएं करना, उनमें फेरफार करना, उनका कार्यान्वयन करना उन्हें रद्द करना और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अधिकारी नियुक्त करना, जैसा कि वह उचित समझे;

**19. कार्य परिषद् का सम्मिलन —**

- (1) कार्य परिषद् का सम्मिलन चार मास में कम से कम एक बार होगा.
- (2) कार्य परिषद् का अध्यक्ष कार्य परिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये अपने में से एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे.
- (3) कार्य परिषद् के किसी सम्मिलन में उसके चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी.
- (4) कार्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि कार्य परिषद् द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हैं, तो यथास्थिति कार्य परिषद् के अध्यक्ष का या उस सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा.

**20. स्थायी समितियों का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति —**

- (1) अधिनियम के और इस संबंध में बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कार्य परिषद् संकल्प द्वारा ऐसी स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ, ऐसे प्रयोजनों के लिये तथा ऐसी शक्तियों सहित, जैसा कार्य परिषद् उचित समझे, ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड की किसी शक्ति का प्रयोग करने या बोर्ड के किसी कृत्य का निर्वहन करने या बोर्ड से संबंधित किसी मामले में जांच करने, उस पर रिपोर्ट देने या सलाह देने या सलाह देने के लिये गठित या नियुक्त कर सकेगी.

**21. विद्या परिषद्—**

- (1) विद्या परिषद् ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड की विद्या संबंधी निकाय होगी और इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों, आदेशों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उसे ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा मानकों पर नियंत्रण रखने तथा सामान्य विनियमन करने की शक्ति होगी और वह इन मानकों को बनाए रखने के लिये भी उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जो उसे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों, आदेशों और विनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएँ या उस पर अधिरोपित किए जाएँ और उसे यह अधिकार होगा कि विद्या संबंधी समस्त मामलों पर कार्य परिषद् की सलाह दें.

**22. विद्या परिषद् की सदस्यता —**

- (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः—
- (एक) महासचिव, जो उसका अध्यक्ष होगा;
- (दो) महासचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन ऐसे विशेषज्ञ जो अन्य ग्रा.मु.वि.शि.सं.बोर्ड में कार्य कर रहे हैं;

**23. विद्या परिषद् की शक्तियाँ तथा उसके कर्तव्य —**

इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों, आदेशों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को उसमें विनिहित की गई अन्य शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थातः—

- (एक) ऐसे किसी विषय पर जो साधारण परिषद् या कार्य परिषद् द्वारा निर्दिष्ट या प्रत्योजित किया जाए, रिपोर्ट करना;
- (दो) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड में अध्यापन पदों के सृजन, समाप्ति या वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध अर्हताओं, परिलब्धियों तथा कर्तव्यों के संबंध में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;
- (तीन) संकायों के गठन के लिये स्कीमें बनाना तथा उपान्तरित करना या पुनरीक्षित करना और ऐसे संकायों को उनके संबंधित विषय सौंपना और किसी संकाय को समाप्त या उपविभाजित करने या एक संकाय को दूसरे संकाय के साथ संयोजित करने की समीचीनता के संबंध में भी कार्य परिषद् को रिपोर्ट करना;
- (चार) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड में नामांकित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के शिक्षण तथा परीक्षा के लिये विनियमों के माध्यम से व्यवस्था करना;

**24. संकायों का गठन —**

परिनियमों के अधीन यथा विहित संकायों का गठन किया जाएगा.

**25. वित्त समिति —**

- (1) एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः—
- (एक) महासचिव;
- (दो) तीन सदस्य जो कार्य परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;
- (तीन) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के वित्त विभाग के एक-एक अधिकारी (जो उप सचिव की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के न हों) जो ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

- (2) वित्त समिति की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात्:—
- (एक) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के वार्षिक बजट का परीक्षण और उसकी संवीक्षा करना वित्तीय मामलों में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;
- (दो) नवीन व्ययों के लिये समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद् को सिफारिश करना;
- (तीन) लेखाओं के नियतकालिक विवरणों पर विचार करना और ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड की वित्तीय स्थिति का, समय-समय पर, पुनर्विलोकन करना और पुनर्विनियोजन विवरणों तथा संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और कार्य परिषद् को सिफारिश करना;
- (चार) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड पर प्रभाव डालने वाले वित्तीय विषय पर या तो स्वप्रेरणा से या कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा निर्देश किया जाने विचार प्रस्तुत करना और कार्य परिषद् को सिफारिशें करना.
- (3) वित्त समिति छह मास में कम से कम एक बार अपना सम्मिलन करेगी और वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी.
- (4) महासचिव, वित्त समिति के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये निर्वाचित करेंगे.

#### 26. ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के अधिकारी—

ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्—

- (एक) महासचिव;
- (दो) सचिव;
- (तीन) राज्य महानिदेशक;
- (चार) महासचिव; और
- (पाँच) ऐसे अधिकारी, जैसे कि विनियमों द्वारा विहित किए जाएं,

#### 27. महासचिव —

- (1) महासचिव की नियुक्ति संस्था निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा की जाएगी परन्तु यदि समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण नियुक्ति प्रतिगृहित करने के लिये राजामंद न हों, तो अध्यक्ष ऐसी समिति से नई सिफारिश मंगा सकेगा:

परन्तु यह और कि ग्रा.मु.वि.शि.सं.बोर्ड का प्रथम महासचिव, ग्रा.मु.वि.शि.सं.बोर्ड से परामर्श के पश्चात्, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा.

- (2) अध्यक्ष एक समिति नियुक्त करेगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

- (एक) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति;
- (दो) ग्रा.मु.वि.शि.सं.बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक सदस्य;
- (तीन) ग्रा.मु.वि.शि.सं.बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति;
- (चार) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति,

अध्यक्ष इन चार व्यक्तियों में से एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा.

- (3) उपधारा (2) के अधीन समिति गठित करने के लिये अध्यक्ष, महासचिव की अवधि का अवसान होने के छह मास पूर्व, कार्य परिषद् के अध्यक्ष को अपने-अपने नामनिर्देशितियों को चुनने के लिये उपेक्षित करेगा और यदि उनमें से कोई एक या दोनों इस बारे में अध्यक्ष की संसूचना प्राप्त होने के मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो अध्यक्ष, यथास्थिति, किसी एक या दोनों व्यक्तियों को आगे नामनिर्दिष्ट कर सकेगा, ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड समय-सीमा के भीतर नामनिर्देशन करेगी.

- (4) महासचिव—

- (एक) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है.
- (दो) को ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड में उचित रूप से अनुशासन बनाए रखने संबंधी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी.



**28. वार्ड्स चेयरमेन—**

- (1) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड में प्रत्येक विभागों के लिए एक विभागाध्यक्ष होगा.
- (2) विभागाध्यक्षों की शक्तियां, उनके कृत्य, नियुक्तियां और सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं.

**29. सचिव—**

- (1) सचिव, ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा. सचिव की पदावधि तथा सेवा-शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं.
- (2) सचिव, कार्य परिषद् विद्या परिषद् वित्त समिति तथा संकायों का पदेन सचिव होगा, किन्तु इन प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य नहीं समझा जाएगा.
- (3) सचिव—
  - (एक) कार्य परिषद् तथा कुलपति के समस्त निर्देशों और आदेशों का पालन करेगा;
  - (दो) ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्तियों का, जो कि कार्य परिषद् उसके सुपुर्द करें, अभिरक्षक होगा;
  - (तीन) किसी आपात स्थिति में, ऐसी दशा में, जबकि महासचिव और सम्यक् रूपेण प्राधिकृत अधिकारी दोनों ही कार्य करने में समर्थ नहीं हैं तो तुरन्त कार्य परिषद् का सम्मेलन बुलाएगा और ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड का कार्य चलाने हेतु अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा;
  - (4) सचिव का पद किसी कारण से रिक्त रहने की दशा में महासचिव, ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड की सेवा में किसी अधिकारी को सचिव की ऐसी शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों का, जैसा कि महासचिव उचित समझे, प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा.

**30. राज्य महानिदेशक—**

महानिदेशक, ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायेगा. सचिव की पदावधि तथा सेवा-शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि नियमों द्वारा विहित की जाएं तथा राज्य में ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेगा.

**31. राज्य निदेशक—**

निदेशक, ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायेगा. सचिव की पदावधि तथा सेवा-शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं. ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड द्वारा चलाई गयी योजनाओं को कार्यान्वित करेगा.

**32. चयन समिति—**

- (1) कार्य परिषद्, ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड में समस्त अकादमिक कर्मचारी के पदों पर नियुक्ति करने के लिए कार्य परिषद् को सिफारिशें करने हेतु एक चयन समिति गठित करेगी.
- (2) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे;
  - (एक) महासचिव जो समिति का अध्यक्ष होगा;
  - (दो) विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तुत तीन विषय विशेषज्ञों के पैनल में से अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विषय विशेषज्ञ, जो किसी भी रीति में बोर्ड से संबद्ध न हों.

**33. वित्तीय प्राक्कलन—**

- (1) कार्य परिषद् ऐसी तारीख के पूर्व, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, आगामी वर्ष के लिये वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी उन्हें साधारण परिषद् के समक्ष रखेगी.
- (2) कार्य परिषद् उस दशा में जहां रिक्त से, जिसका बजट में प्रावधान किया गया है, अधिक व्यय किया जाना है या अत्यावश्यकता की दशा में व्यय किया जाता है, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और विनियमों में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए व्यय कर सकेगी और जहां ऐसे अधिक व्यय के संबंध में बजट में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं वहां एक रिपोर्ट साधारण परिषद् को उसके आगामी सम्मेलन में की जाएगी.

**34. वार्षिक रिपोर्ट—**

- (1) कार्य परिषद्, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो विनियमों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, विहित की गई हों, या जिन्हें साधारण परिषद्, संकल्प करके विनिर्दिष्ट करें और परिषद् उनके अनुसार कार्रवाई करेगी और की गई कार्रवाई साधारण परिषद् को संसूचित की जाएगी.
- (2) वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ साधारण परिषद् के संकल्प की प्रतियां ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड को प्रस्तुत की जाएंगी और ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड उसे यथाशीघ्र गवर्निंग बॉडी के पटल पर रखवाएगी.

**35. संविदाओं का निष्पादन—**

प्रबंधन तथा प्रशासन से संबंधित समस्त संविदाएं, जब संविदा का मूल्य दस लाख रुपये से अधिक हो तो वह महासचिव द्वारा जब उसका मूल्य दस लाख रुपये से कम है तो महासचिव/सचिव द्वारा उसकी मुद्रा तथा हस्ताक्षर के अधीन निष्पादित की जाएंगी.

**36. उपाधि, उपाधिपत्र, प्रमाण-पत्र आदि का प्रदान किया जाना—**

तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ग्रा.मु.वि.शि.सं. बोर्ड को यह शक्ति होगी कि इस अधिनियम के अधीन उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र और विद्या संबंधी विशिष्टताएं और पदवियां प्रदान करें।

**37. सम्मानिक उपाधियां—**

यदि विद्या परिषद् के सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य यह सिफारिश करें कि किसी व्यक्ति को, इस आधार पर कि वह विशिष्ट उपलब्धियों तथा हैसियत के कारण उनकी राय में कोई सम्मानिक उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्टता और पदवी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है और ऐसी सम्मानिक उपाधि, विद्या संबंधी विशिष्टता और पदवी उसे प्रदान की जाए तो साधारण परिषद्, संकल्प द्वारा यह विनिश्चय कर सकेगी कि सिफारिश किए गए व्यक्ति को ऐसी सम्मानिक उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्टता और पदवी प्रदान की जाए।

**38. उपाधि, उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र का प्रत्याहरण—**

- (1) साधारण परिषद् कार्य परिषद् की सिफारिश पर, साधारण परिषद् के सम्मेलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई या दी गई किसी विशिष्टता, उपाधि, उपाधिपत्र या विशेषाधिकार को उस दशा में प्रत्याहृत कर सकेगी, जबकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें साधारण परिषद् की राय में नैतिक अक्षमता अन्तर्वर्तित है या कि वह घोर अवचार का दोषी रहा है।
- (2) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी तब तक कि उस व्यक्ति को की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शाने युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया है।
- (3) साधारण परिषद् द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को तुरन्त भेजी जाएगी।
- (4) साधारण परिषद् द्वारा किए गए विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर महासचिव को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

**39. नियमों, आदेशों तथा विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना तथा गवर्निंग बॉडी के समक्ष रखा जाना—**

- इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, आदेश तथा विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जा सकेगा।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, आदेश तथा विनियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र गवर्निंग बॉडी के समक्ष रखा जाएगा।
  - (3) नियम, आदेश तथा विनियम बनाने की शक्ति में नियमों, आदेशों तथा विनियमों को या उनमें से किसी को, उस तारीख से भूतलक्षी प्रभाव देने वाली शक्ति सम्मिलित है जो इस स्वायत्तः संस्था अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व की न हो, परंतु किसी भी नियम, आदेश और विनियम में ऐसा भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसे ऐसा नियम, आदेश तथा विनियम लागू होते हों, हित प्रतिकूलतः प्रभावित होते हों।

भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2020

क्र. 2301.एफ.-ग्रा.मु.वि.शि.सं.-भ-(20)--ग्रा.मु.वि.शि.सं. की विभागीय बैठक निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20 मार्च, 2020 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य के महानिदेशक से तथा आदेशानुसार,

**अजय साहू,**

राज्य निदेशक.

(87-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मे. शिवाया ट्रेडर्स (M/s Shivaya Traders) के नाम से एक भागीदारी फर्म है, जिसका पंजीयन क्र. 04/17/06/0169/17 है. इस फर्म से दिनांक 16 जून, 2020 से दो भागीदार (1) उज्जवल चौहान पिता श्री दशरथ सिंह चौहान, निवासी- आर.डी. स्कूल के पास, संतोषी माता वार्ड, पांडुर्णा, तह. पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.). (2) प्रवीण चौहान पिता श्री दशरथ सिंह चौहान, निवासी आर.डी. स्कूल के पास, संतोषी माता वार्ड, पांडुर्णा, तह. पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 16 जून, 2020 से दो भागीदार (1) श्रीमति रेखा उज्जवल चौहान पति श्री उज्जवल सिंह चौहान, निवासी- 109, शंकर नगर वार्ड नं. 19, पांडुर्णा, तह. पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) एवं (2) श्रीमति माधवी प्रवीण चौहान पति श्री प्रवीण सिंह चौहान निवासी- 109, शंकर नगर वार्ड नं. 19, पांडुर्णा, तह. पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) यथावत रहेंगे. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 16 जून, 2020 में संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस वार्ड नं. 25, संतोषी माता वार्ड, पांडुर्णा, तह. पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है. सर्व-साधारण को सूचना हेतु जारी.

**रेखा उज्जवल चौहान,**

पार्टनर.

(88-बी.)

## विविध

### आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

#### कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला नीमच

नीमच, दिनांक 18 जून, 2020

क्र./महा/2020/5745.—नीमच जिले में संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया, डेंगू के फैलाव की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन संदर्भित बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत किये जावें।

अतः मैं, जितेन्द्र सिंह राजे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला नीमच मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा विनियमन नियम 1979 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला नीमच को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूँ तथा आदेश देता हूँ कि—

**क.** अधिसूचित क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर बाजारों, उपहारगृहों, भोजनालयों, होटलों आदि के लिए खाद्य एवं पेयजल सामग्री निर्माण करने या उससे निर्माण कर प्रदाय करने के लिए कायम की गई स्थापना में अथवा विक्रय या विमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर—

1. बाँसी मिठाईयों, सड़े-गले फल, सब्जियाँ, मछली, अण्डे, दूषित खाद्य पदार्थों के बेचने पर प्रतिबंध लगाया जावे।
2. कुल्फी, आईसक्रीम, बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पेय पदार्थ, खुले स्थान/बाजार में जालीदार ढक्कन ढककर रखे जावें। महामारी फैलने पर इसकी बिक्री पर पाबंदी लगाई जावे।
3. नालियाँ, गटरों, पानी के गड्ढों, मलकुण्ड, कूड़ा करकट आदि गंदगी वाले स्थानों को स्वच्छ रखा जावे तथा रोगाणु नाशक प्रदार्थ से नियमित सफाई की जावे।
4. मक्खियाँ, मच्छर पैदा करने वाले स्थान को स्वच्छ रखा जावे तथा खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाया जावे।
5. नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत टंकी की समय-समय पर सफाई तथा उचित मात्रा में क्लोरिन जल शुद्धिकरण के लिये काम में लाई जावे।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में नाले, तालाब, अस्वच्छ कुओं व बावड़ियों का पानी पीने के काम में नहीं लाया जावे। हेण्डपम्प का पानी ही पीने के उपयोग में लाया जावे। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की प्रति सप्ताह नियमित ब्लीचिंग पाउडर डालकर शुद्धिकरण पश्चात जल का उपयोग किया जावे।
7. धर्मशालाओं, सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं व धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा अपने परिसर स्थित पेयजल टंकी की नियमित सफाई व शुद्धिकरण किया जावे।

**ख.** इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या बाहर के कोई भी व्यक्ति इस आदेश के पैरा “क” के बिन्दु क्रमांक-1 में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये हुये भोजन को न तो लायेगा न ही ले जावेगा।

**ग.** इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टॉल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या विमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, वहाँ विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जाँच-पड़ताल करने, निरीक्षण करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तुएं एवं मानव उपयोग के अभिप्रेरित हैं और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त हैं तो उन अस्वास्थ्यकर दूषित अनुपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने या नष्ट करने या ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिए जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके, के लिये अधिसूचित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूँ—

1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला नीमच,
2. समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला नीमच,
3. ऐसे समस्त शासकीय चिकित्सक पदाधिकारियों जो सहायक चिकित्सक के पद से नीचे न हो,
4. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक,
5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत समस्त,
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त,
7. राजस्व निरीक्षण समस्त तहसील, जिला नीमच.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, घरों के गड्ढों, पोखरों, मलसंडास संक्रमित वस्तुओं, बिस्तरों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाते समय उस स्थान को स्वच्छ व रोगाणु रहित करने हेतु निवर्तन अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणु नाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने से संबंधित आदेश दे सकेंगे। उक्त आदेश का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय द्वारा सुसंगत प्रावधानों के तहत किया जावेगा।

संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों/संस्थाओं/प्रतिष्ठानों द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी, जो अन्य आर्थिक दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जावेगी।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी छःमाह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगा।

(539)

जितेन्द्र सिंह राजे,  
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी।

### निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 26 जून, 2020

#### निविदा सूचना

क्र. जी. बी./चार (4)2020-21/831.—ऑनलाईन ई-टेंडरिंग वेबसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) से लिफाफा निर्माताओं से विधानसभा उप निर्वाचन, 2020 के 37 प्रकार के लिफाफों को तकनीकी विवरण एवं शर्तों में उल्लेखित संख्या, स्पेसिफिकेशन अनुसार मुद्रित एवं तैयार कर 80 जीएसएम. पेपर सहित (समस्त कर सहित) प्रति हजार की दरें की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दिनांक 09 जुलाई, 2020 को अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड की जावेगी।

ऑनलाईन निविदा की हार्डकॉपी, पेपर नमूने अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित, की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

सूचना, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) पर भी रखा गया है।

(540)

व्ही. के. सिंह,  
उप-नियंत्रक,  
वास्ते नियंत्रक,  
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

### न्यायालयों की सूचनाएं

#### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास मण्डलेश्वर, जिला खरगौन

रा.प्र.क्र.0002/बी-113(1)/2019-20.

मण्डलेश्वर, दिनांक 09 जून, 2020

#### फार्म-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुरेशसिंह पिता स्व. गोपालसिंह मण्डलोई राजपूत, निवासी वार्ड क्र.05 गुरुवा मोहल्ला मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश न्यासधारी एवं अध्यक्ष द्वारा “श्री भीलट देव मंदिर न्यास” श्रीनगर कॉलोनी बड़वाह रोड़ मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के तहत सार्वजनिक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है।

अतः मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता लोक न्यासों का पंजीयक मेरे न्यायालय में दिनांक 09 जुलाई, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा उक्त मामले की जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

उक्त आवेदन-पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा वकील या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति/सुझाव को विचार में नहीं लिया जायेगा।

**अनुसूची**

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम : “श्री भीलट देव मंदिर न्यास”, श्रीनगर कॉलोनी बड़वाह रोड मण्डलेश्वर तहसील महेश्वर, जिला खरगौन.
2. न्यास का पता : श्रीनगर कॉलोनी बड़वाह रोड मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश.
3. चल सम्पत्ति : निरंक.
4. अचल सम्पत्ति : निरंक.

यह सूचना आज दिनांक 09 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(526)

रा.प्र.क्र.0001/बी-113(1)/2019-20.

मण्डलेश्वर, दिनांक 09 जून, 2020

**फार्म-चार**

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गोपालकृष्ण पिता श्रीकिशन मित्तल, निवासी मेहतवाड़ा रोड महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश न्यासधारी एवं अध्यक्ष द्वारा “अग्रवाल समाज परमाधीन न्यास” एम.जी. रोड महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के तहत सार्वजनिक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है.

अतः मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता लोक न्यासों का पंजीयक मेरे न्यायालय में दिनांक 09 जुलाई, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा उक्त मामले की जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

उक्त आवेदन-पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा वकील या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति/सुझाव को विचार में नहीं लिया जायेगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम : “अग्रवाल समाज परमाधीन न्यास”.
2. न्यास का पता : एम.जी. रोड महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन
3. चल सम्पत्ति : निरंक.
4. अचल सम्पत्ति : निरंक.

यह सूचना आज दिनांक 09 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(527)

आनंदसिंह राजावत,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

**अन्य सूचनाएं****कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल, पन्ना****“प्रकरण का संक्षिप्त विवरण—**

वन परिक्षेत्राधिकारी, पन्ना के प्रतिवेदन अनुसार पार्श्व अंकित आकृति का निम्नांकित हैमर (हथौड़ा) जो एफ.डी. ए.एन.आर. रोपण जनवार पी-411 हेतु श्री मेघराज सिंह वनपाल परिक्षेत्र सहायक ककरहटी को प्रदाय किया गया था.



कार्योपरान्त प्रदाय हैमर श्री सिंह द्वारा परिक्षेत्र कार्यालय में जमा न करते हुये कूट रचित हैमर जमा कराकर शासन के साथ धोखाधड़ी पाये जाने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था./5687, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 से निम्नानुसार आरोप लगाया जाकर 15 दिवस के अन्दर संरक्षण उत्तर चाहा गया.

“श्री मेधराज सिंह वनपाल को प.स. ककरहटी में पदस्थिति अवधि के दौरान एफ.डी.ए., ए.एन.आर रोपण जनवार पी-411 हेतु हैमर क्र.87 पी.एन. आवंटित किया गया था. आपके द्वारा आवंटित किये गये हैमर के बदले में दूसरा कूटरचित हैमर जमा किया गया इससे यह स्पष्ट है कि आवंटित मूल हैमर श्री मेधराज सिंह से गुम हो जाने की स्थिति में उनके द्वारा कूटरचित हैमर बनवाकर जमा किया गया जो भा.व. अधि. की धारा-66 का एवं भा.द.वि. की धारा-28 के अन्तर्गत अपराध है. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रतिकूल व्यवहार करने पर अपने आप को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया है”.

श्री मेधराज सिंह वनपाल को आरोप पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2019 को तामील हुआ. उनसे उक्त आरोप पत्र का संरक्षण उत्तर निर्धारित अवधि के अंदर प्राप्त न होने से स्मरण पत्र क्रमांक/स्था./797, दिनांक 18 फरवरी, 2020 जारी करते हुये एक सप्ताह के अंदर संरक्षण उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये. परन्तु श्री सिंह द्वारा संरक्षण उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर पुनः अंतिम स्मरण पत्र क्रमांक/स्था./1430, दिनांक 02 मई, 2020 जारी करते हुये एक सप्ताह के अंदर संरक्षण उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये. यह स्मरण पत्र श्री सिंह को दिनांक 06 मई, 2020 को प्राप्त हुआ परन्तु संरक्षण उत्तर वर्तमान तक प्रस्तुत नहीं किया गया है.

चूँकि श्री मेधराज सिंह दिनांक 31 जुलाई, 2020 को अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सेवानिवृत्त के पूर्व लंबित समस्त अनुशासनिक कार्यवाहियों का निराकरण अति आवश्यक होता है.

श्री सिंह को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी अपना पक्ष न रखना आरोप मान्य किये जाने की मौन स्वीकृति दर्शाता है. अतः प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों का परिशीलन उपरान्त निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है.

### “आदेश”

आदेश क्रमांक/म.चि/स्था./2020/64.

पन्ना, दिनांक 30 मई, 2020

श्री मेधराज सिंह, वनपाल द्वारा की गई शासकीय कार्य में बरती गई गंभीर लापरवाही के लिये मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोधित की जाती है. वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उक्त हैमर शासकीय भण्डार एवं अभिलेखों में अपलेखित किया जाता है, हैमर का मूल्य 350.00 (शब्दों में तीन सौ पचास रुपये मात्र) श्री मेधराज सिंह, वनपाल वन परिक्षेत्र देवेन्द्रनगर से एक मुश्त वसूली का आदेश दिया जाता है.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त आकृति का हैमर यदि किसी के पास हो तो समीप के पुलिस स्टेशन या वन परिक्षेत्र कार्यालय में जमा करावें, कोई अन्य व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से हैमर अपने पास रखता है अथवा उपयोग करता है तो भा.व.अ. 1927 की धारा-63 के तहत दण्ड का भागी माना जायेगा.

(528)

गौरव शर्मा,  
वनमंडलाधिकारी.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 09 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्र. | नाम संस्था                                             | पंजीयन<br>क्रमांक व दिनांक | परिसमापन आदेश<br>क्रमांक व दिनांक |
|------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1    | 2                                                      | 3                          | 4                                 |
| 1.   | प्राथ.आजीविका बहु.प्रयोजन सह.संस्था मर्या., बक्सुखेड़ी | 1302/30-06-2018            | 673/03-06-2020                    |
| 2.   | प्राथ.आजीविका बहु.प्रयोजन सह.संस्था मर्या., टिमायची    | 1287/30-06-2018            | 673/03-06-2020                    |
| 3.   | प्राथ.आजीविका बहु.प्रयोजन सह.संस्था मर्या., कपालिया    | 1312/05-07-2018            | 673/03-06-2020                    |
| 4.   | प्राथ.आजीविका बहु.प्रयोजन सह.संस्था मर्या., रंथभवर     | 1274/29-06-2018            | 673/03-06-2020                    |

अतः मैं, पं. विनोद शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो, वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, पुराना जिला पंचायत भवन, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

**विनोद शर्मा,**

(529)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

### **कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह**

दमोह, दिनांक 28 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./स.प.द./परि/20/200.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि/362, दिनांक 26 मार्च, 2016 के द्वारा जय अम्बे माता महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, हिरदेपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक, 528 दिनांक 23 अक्टूबर, 2002 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री उमेश खटीक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्ति किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/05-01-99/पंद्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय अम्बे माता महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, हिरदेपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बॉडी) कॉर्पोरेट समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(530)

दमोह, दिनांक 28 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./स.प.द./परि/20/201.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि/357, दिनांक 26 मार्च, 2016 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, सिहोरा पडरिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 535, दिनांक 06 नवम्बर, 2002 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री उमेश खटीक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्ति किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/05-01-99/पंद्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, सिहोरा पडरिया का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बॉडी) कॉर्पोरेट समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(531)

दमोह, दिनांक 28 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./स.प.द./परि/20/202.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि/349, दिनांक 26 मार्च, 2016 के द्वारा सहयोगी महिला बहुउद्देशीय

सहकारी समिति मर्यादित, चंदौरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 575, दिनांक 11 मार्च, 2005 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री उमेश खटीक सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्ति किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/05-01-99/पंद्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये सहयोगी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, चंदौरा का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बॉडी) कॉर्पोरेट समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(532)

दमोह, दिनांक 28 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./स.प.द./परि/20/202.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि/337, दिनांक 26 मार्च, 2016 के द्वारा शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, बिलाई, जिसका पंजीयन क्रमांक 522, दिनांक 10 सितम्बर, 2002 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री उमेश खटीक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्ति किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, राजु डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, दमोह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/05-01-99/पंद्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, बिलाई का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बॉडी) कॉर्पोरेट समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(533)

राजु डावर,  
सहायक पंजीयक.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 20 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/491.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/2204, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लखनपुर-गोसलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लखनपुर-गोसलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2001 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(534)

शिवम् मिश्रा,  
उप-पंजीयक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2020.





# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई, 2020-आषाढ़ 12, शके 1942

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2020

1. मौसम एवं वर्षा:—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा. कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. संलग्न सांख्यिकी सूचना-1 में जिलों की तहसीलों के सामने वर्षा मिलीमीटर में प्रतिवेदित की गई है.

- |                                           |                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2. प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :- | जुलाई बंद है.                                                                   |
| 3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :-             | बोनी बंद है.                                                                    |
| 4. धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-        | रोपाई बंद है.                                                                   |
| 5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-  | कोई प्रभाव नहीं.                                                                |
| 6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-      | कोई प्रभाव नहीं.                                                                |
| 7. अन्य असामयक घटना से छति :-             | कोई छति नहीं.                                                                   |
| 8. फसल स्थिति :-                          | जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है. |

9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.

10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक-1, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2020

| क्र. | जिला       | तहसील     | सप्ताह में वर्षा जो हुई मि. मी. वर्षा कम/अधिक. |    | कृषि कार्यों, प्रारम्भिक जुलाई, बोनी पर (रोपाई) पर (धान) कटी हुई | खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण का प्रभाव. | Y; | क्षति प्रतिशत में | जिले की गत वर्ष की फसल की तुलना में चालू वर्ष की खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान फसल का क्षेत्रफल-समान या कम प्रतिशत फसल की हालत-समान, बिगड़ी या सुधरी प्रतिशत |       |          |         |     |           |    | 5. सिंचाई के लिये पानी पर्याप्त या अपर्याप्त. 6 (अ) चारे की प्राप्ति. 6 (ब) पशुओं की हालत |                |             | (7) बीज की प्राप्ति कृषि सम्बन्धी. (8) मजदूरों की प्राप्ति |              |
|------|------------|-----------|------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 1    | 2          | 3         | 4                                              |    | 5                                                                | 5 (ब)                                         | 6  | 7                 | 8                                                                                                                                                               |       |          |         |     |           |    | 9                                                                                         |                |             | 10                                                         |              |
| 1.   | मुरैना :   | अम्बाह    | 2.0                                            | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | ..                                                                                                                                                              | ..    | ..       | ..      | ..  | ..        | .. | 5. पर्याप्त.                                                                              | 6.(अ)संतोषजनक, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त.                                               | 8. पर्याप्त. |
|      |            | पोरसा     | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | ..                                                                                                                                                              | चना   | ..       | ..      | ..  | ..        | .. | ..                                                                                        | ..             | ..          | ..                                                         | ..           |
|      |            | मुरैना    | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | ..                                                                                                                                                              | गेहूँ | ..       | ..      | ..  | ..        | .. | ..                                                                                        | ..             | ..          | ..                                                         | ..           |
|      |            | जौरा      | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | ..                                                                                                                                                              | ..    | ..       | ..      | ..  | ..        | .. | ..                                                                                        | ..             | ..          | ..                                                         | ..           |
|      |            | कैलारस    | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | ..                                                                                                                                                              | ..    | ..       | ..      | ..  | ..        | .. | ..                                                                                        | ..             | ..          | ..                                                         | ..           |
|      |            | सबलगढ़    | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | ..                                                                                                                                                              | ..    | ..       | ..      | ..  | ..        | .. | ..                                                                                        | ..             | ..          | ..                                                         | ..           |
| 2.   | श्यामपुर : | श्यामपुर  | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | तुअर                                                                                                                                                            | गन्ना | गेहूँ    | समान    | ..  | सुधरी हुई | .. | 5. पर्याप्त.                                                                              | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त.                                               | 8. पर्याप्त. |
|      |            | कराहल     | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | जौ                                                                                                                                                              | चन्ना | रई-सस्से | सामान्य | ..  | सुधरी हुई | .. | ..                                                                                        | ..             | ..          | ..                                                         |              |
|      |            | विजयपुर   | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | अलसी                                                                                                                                                            | मटर   | मसूर     | समान    | ..  | सुधरी हुई | .. | ..                                                                                        | ..             | ..          | ..                                                         |              |
|      |            | वीरपुर    | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | अन्य                                                                                                                                                            | ..    | ..       | सामान्य | ..  | सुधरी हुई | .. | ..                                                                                        | ..             | ..          | ..                                                         |              |
|      |            | बडोदा     | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | ..                                                                                                                                                              | ..    | ..       | ..      | ..  | ..        | .. | ..                                                                                        | ..             | ..          | ..                                                         | ..           |
|      |            | भिण्ड     | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | गेहूँ                                                                                                                                                           | ..    | ..       | समान    | ..  | सुधरी हुई | .. | 5. पर्याप्त.                                                                              | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त.                                               | 8. पर्याप्त. |
| 3.   | भिण्ड :    | अटेर      | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | राईसरसों                                                                                                                                                        | ..    | ..       | अधिक    | 15% | सुधरी हुई | .. | ..                                                                                        | ..             | ..          | ..                                                         | ..           |
|      |            | भिण्ड     | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | चना                                                                                                                                                             | ..    | ..       | सामान्य | ..  | सुधरी हुई | .. | ..                                                                                        | ..             | ..          | ..                                                         | ..           |
|      |            | गोहद      | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | ..                                                                                                                                                              | ..    | ..       | ..      | ..  | ..        | .. | ..                                                                                        | ..             | ..          | ..                                                         | ..           |
|      |            | मेहगांव   | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | ..                                                                                                                                                              | ..    | ..       | ..      | ..  | ..        | .. | ..                                                                                        | ..             | ..          | ..                                                         | ..           |
|      |            | लहार      | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | ..                                                                                                                                                              | ..    | ..       | ..      | ..  | ..        | .. | ..                                                                                        | ..             | ..          | ..                                                         | ..           |
|      |            | रौनमिहोना | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | ..                                                                                                                                                              | ..    | ..       | ..      | ..  | ..        | .. | ..                                                                                        | ..             | ..          | ..                                                         | ..           |
|      |            | गोरमी     | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | ..                                                                                                                                                              | ..    | ..       | ..      | ..  | ..        | .. | ..                                                                                        | ..             | ..          | ..                                                         | ..           |
| मौ   | ..         | ..        | ..                                             | .. | ..                                                               | ..                                            | .. | ..                | ..                                                                                                                                                              | ..    | ..       | ..      | ..  | ..        | .. | ..                                                                                        | ..             | ..          |                                                            |              |

[illegible]

| 1   | 2         | 3                                                                                                                    | 4  |    | 5  | 5 (ब) | 6  | 7                                    | 8   |         |                                    |                                 |                                               |    | 9            |                |             | 10           |              |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|----|--------------------------------------|-----|---------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|--------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 8.  | गुना :    | गुना<br>राघोगढ़<br>बमोरी<br>आरोन<br>चाचौड़ा<br>मकसूदनगढ़<br>कुम्भराज                                                 | .. | .. | .. | ..    | .. | गेहूँ<br>अन्य                        | चना | रईसरसों | सामान्य                            | ..                              | सामान्य<br>सामान्य                            | .. | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 9.  | टीकमगढ़ : | निवाड़ी<br>पृथ्वीपुर<br>जतारा<br>टीकमगढ़<br>बल्देवगढ़<br>पलेरा<br>खरगापुर<br>मोहनगढ़<br>लिधौरा<br>ओरछा               | .. | .. | .. | ..    | .. | गेहूँ<br>चना<br>जौ<br>मटर<br>रईसरसों | ..  | ..      | अधिक<br>अधिक<br>अधिक<br>कम<br>अधिक | 0.15<br>0.02<br>2%<br>5%<br>10% | सामान्य<br>सामान्य<br>सामान्य<br>समान<br>समान | .. | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              | 0            |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |
| 10. | छतरपुर :  | गौरीहार<br>नौगांव<br>छतरपुर<br>राजनगर<br>बीजावर<br>बड़ा मलहण<br>महाराजपुर<br>चंदला<br>धुवारा<br>लवकुशनगर<br>बक्सवाहा | .. | .. | .. | ..    | .. | तुअर                                 | ..  | ..      | कम                                 | 15%                             | ..                                            | .. | 5. . .       | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |
|     |           |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |                                      |     |         |                                    |                                 |                                               |    |              |                |             |              |              |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



| 1   | 2        | 3                                                                                             | 4  |    | 5  | 5 (ब) | 6  | 7  | 8                                                       |    |    |                                            |                                            |                                                                            | 9                          |              |                      | 10                   |                    |                    |                    |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|----|----|---------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 24. | उज्जैन : | खाचरौद<br>महिदपुर<br>तराना<br>घटिया<br>उज्जैन<br>बड़नगर<br>नागदा                              | .. | .. | .. | ..    | .. | .. | गेहूँ<br>चना<br>राईसरसों                                | .. | .. | अधिक<br>कम<br>कम                           | ..                                         | ..                                                                         | सामान्य<br>सामान्य<br>समान | ..           | 5. पर्याप्त.         | 6.(अ)पर्याप्त,<br>.. | 6.(ब)अच्छी.<br>..  | 7. पर्याप्त.<br>.. | 8. पर्याप्त.<br>.. |
| 25. | आगर :    | बड़ौद<br>सुसनेर<br>नलखेड़ा<br>आगर                                                             | .. | .. | .. | ..    | .. | .. | ..                                                      | .. | .. | ..                                         | ..                                         | ..                                                                         | ..                         | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त,<br>.. | 6.(ब)अच्छी.<br>..    | 7. ..              | 8. पर्याप्त.<br>.. |                    |
| 26. | शाजापुर: | मोमन (बड़े)<br>शाजापुर<br>शुजालपुर<br>कालापीपल<br>पोलायकलां<br>अबंतीपुर<br>बडौदिया<br>गुलाना  | .. | .. | .. | ..    | .. | .. | गेहूँ<br>चना<br>राईसरसों<br>मसूर<br>तुअर<br>अन्य        | .. | .. | अधिक<br>कम<br>समान<br>समान<br>कम<br>समान   | 30%<br>30%<br>..<br>..<br>2%<br>..         | समान<br>सामान्य<br>सामान्य<br>सामान्य<br>समान                              | ..                         | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त,<br>.. | 6.(ब)अच्छी.<br>..    | 7. पर्याप्त.<br>.. | 8. पर्याप्त.<br>.. |                    |
| 27. | देवास :  | सोनकच्छ<br>टोंकखुर्द<br>देवास<br>बागली<br>कन्नोद<br>हाटपिपल्या<br>सतवास<br>उदयनगर<br>खातेगांव | .. | .. | .. | ..    | .. | .. | गेहूँ<br>मसूर<br>चना<br>राईसरसों<br>मटर<br>मूंग<br>उड़द | .. | .. | कम<br>कम<br>कम<br>अधिक<br>अधिक<br>कम<br>कम | 15%<br>..<br>15%<br>..<br>..<br>40%<br>20% | सुधरी हुई<br>सुधरी हुई<br>सुधरी हुई<br>सुधरी हुई<br>सुधरी हुई<br>सुधरी हुई | ..                         | 5. ..        | 6.(अ)संतोषजनक,<br>.. | 6.(ब)अच्छी.<br>..    | 7. पर्याप्त.<br>.. | 8. पर्याप्त.<br>.. |                    |

| 1   | 2           | 3                    | 4  | 5  | 5 (ब) | 6  | 7  | 8     |       |    |    |         |      | 9         |     |               | 10             |             |              |              |
|-----|-------------|----------------------|----|----|-------|----|----|-------|-------|----|----|---------|------|-----------|-----|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 28. | झाबुआ :     |                      | .. | .. | ..    | .. | .. | गेहूँ | ..    | .. | .. | सामान्य | ..   | समान      | ..  | 5. अपर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. . .       |
|     |             | थांदला               | .. | .. | ..    | .. | .. | चना   | ..    | .. | .. | सामान्य | ..   | सामान्य   | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | मेघनगर               | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | पेटलावद              | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | झाबुआ                | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | राणापुर              | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | रामा                 | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
| 29. | अलीराजपुर : |                      | .. | .. | ..    | .. | .. | गेहूँ | ..    | .. | .. | अधिक    | 2%   | सुधरी हुई | 10% | 5. पर्याप्त.  | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. . .       | 8. पर्याप्त. |
|     |             | जोवट                 | .. | .. | ..    | .. | .. | चना   | ..    | .. | .. | कम      | 2%   | सुधरी हुई | 5%  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | अलीराजपुर            | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | कट्टीवाड़ा           | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | सोंडवा               | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | उदयगढ़               | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | चन्द्रशेखर<br>आ. नगर | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
| 30. | धार :       | भामरा                | .. | .. | ..    | .. | .. | गेहूँ | ..    | .. | .. | अधिक    | 15%  | सुधरी हुई | ..  | 5. पर्याप्त.  | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. . .       | 8. पर्याप्त. |
|     |             | बदनावर               | .. | .. | ..    | .. | .. | चना   | ..    | .. | .. | कम      | 25%  | सुधरी हुई | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | सरदारपुर             | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | धार                  | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | कुक्षी               | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | मनावर                | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | धरमपुरी              | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
| 31. | इन्दौर :    | गंधवानी              | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | डही                  | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | पीथमपुर              | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             |                      | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | चना   | .. | .. | ..      | कम   | 5%        | ..  | 5. पर्याप्त.  | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
|     |             | देपालपुर             | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | गेहूँ | .. | .. | ..      | अधिक | 50%       | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | सांवेर               | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     |             | इन्दौर               | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |
|     | गौतमपुरा    | ..                   | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           |              |
|     |             | महू ( अम्बे.)        | .. | .. | ..    | .. | .. | ..    | ..    | .. | .. | ..      | ..   | ..        | ..  | ..            | ..             | ..          | ..           | ..           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                      | 4                                                                                      | 5                                                                                      | 5 (ब)                                                                                  | 6                                                                                      | 7                                                                                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|----|--|
| 32. | खरगौन : | बड़वाह<br>महेश्वर<br>सेगांव<br>खरगौन<br>गोगावां<br>कसरावद<br>भगवानपुरा<br>भीकनगांव<br>सनावद<br>झिरन्या | .. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. .. | .. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. .. | .. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. .. | .. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. .. | .. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. ..<br>.. .. | गेहूँ<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |  |  |  |  |  |  |   |  |  |    |  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                              | 4        | 5  | 5 (ब) | 6  | 7  | 8                                         |       |       |                               |                       |                                                          | 9            |                |               | 10          |              |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------|----|----|-------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| 36. | राजगढ़ : | राजगढ़<br>जीरापुर<br>खिलचीपुर<br>ब्यावरा<br>सारंगपुर<br>पचोर<br>नरसिंहगढ़                                      | .. ..    | .. | ..    | .. | .. | गेहूँ<br>चना<br>मसूर<br>अन्य              | .. .. | .. .. | .. ..                         | .. ..                 | .. ..                                                    | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी.   | 7. पर्याप्त | 8. पर्याप्त. |
| 37. | विदिशा : | लटेरी<br>सिरोंज<br>कुरवाई<br>बासोदा<br>नटेरन<br>विदिशा<br>गुलाबगंज<br>शमसाबाद<br>त्यौंदा<br>पठारी<br>ग्यारसपुर | .. ..    | .. | ..    | .. | .. | गेहूँ<br>चना<br>मसूर                      | .. .. | .. .. | .. ..                         | .. ..                 | सुधरी हुई<br>सुधरी हुई<br>सुधरी हुई<br>20%<br>20%<br>10% | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)सामान्य. | 7. पर्याप्त | 8. पर्याप्त. |
| 38. | भोपाल :  | बैरसिया<br>कोलार<br>हुजूर<br>बैरागढ़                                                                           | 8<br>0.6 | .. | ..    | .. | .. | गेहूँ<br>चना<br>मसूर<br>मटर               | .. .. | .. .. | अधिक<br>कम<br>समान<br>सामान्य | 5%<br>10%<br>..<br>.. | सामान्य<br>सामान्य<br>समान<br>सामान्य                    | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी.   | 7. पर्याप्त | 8. पर्याप्त. |
| 39. | सीहोर :  | सीहोर<br>आष्टा<br>इछावर<br>नसरुल्लागंज<br>रेहटी<br>श्यामपुर<br>जावर<br>बुधनी                                   | .. ..    | .. | ..    | .. | .. | गन्ना<br>गेहूँ<br>चना<br>मसूर<br>राईसरसों | .. .. | .. .. | कम<br>अधिक<br>कम              | ..<br>5%<br>10%       | सामान्य<br>सामान्य<br>सामान्य<br>सामान्य                 | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी.   | 7. पर्याप्त | 8. पर्याप्त. |

| 1   | 2           | 3           | 4   |    | 5  | 5 (ब) | 6  | 7            | 8  |    |              |            |                        |          | 9            |                |             | 10          |              |
|-----|-------------|-------------|-----|----|----|-------|----|--------------|----|----|--------------|------------|------------------------|----------|--------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 40. | रायसेन :    |             | ..  | .. | .. | ..    | .. | गेहूँ<br>चना | .. | .. | अधिक<br>कम   | 25%<br>20% | सामान्य<br>सामान्य     | ..       | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7.पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
|     |             | रायसेन      | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | गैरतगंज     | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | बेगमगंज     | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | गोहरगंज     | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | बरेली       | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | सिलवानी     | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | बाड़ी       | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | सुल्तानपुर  | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | उदयपुरा     | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
| 41. | बैतूल :     |             | ..  | .. | .. | ..    | .. | गेहूँ<br>चना | .. | .. | अधिक<br>अधिक | ..         | सुधरी हुई<br>सुधरी हुई | 5%<br>5% | 5. . .       | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त | 8. पर्याप्त. |
|     |             | बैतूल       | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | भैंसदेही    | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | घोड़ाडोंगरी | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | शाहपुर      | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | चिचोली      | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | मुल्ताई     | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | आठनेर       | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | आमला        | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | प्र. पटनम   | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | भीमपुर      | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
| 42. | होशंगाबाद : |             | ..  | .. | .. | ..    | .. | गेहूँ<br>चना | .. | .. | अधिक<br>कम   | 15%<br>60% | सामान्य<br>सामान्य     | ..       | 5. पर्याप्त. | 6.(अ) . .      | 6.(ब)अच्छी. | 7.पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
|     |             | होशंगाबाद   | ..  | .. | .. | ..    | .. | तुअर         | .. | .. | कम           | 30%        | सामान्य                | ..       | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | सिवनी-मालवा | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | बावई        | ..  | .. | .. | ..    | .. | गन्ना        | .. | .. | कम           | 30%        | सामान्य                | ..       | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | इटारसी      | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | सोहागपुर    | 5.0 | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | पिपरिया     | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | बनखेड़ी     | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | डोलरिया     | 8.0 | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |
|     |             | पचमढ़ी      | ..  | .. | .. | ..    | .. |              | .. | .. |              |            |                        |          | ..           | ..             | ..          | ..          | ..           |

| 1      | 2           | 3            | 4    |    | 5  | 5 (ब) | 6  | 7  | 8       |    |    |         |     |           | 9  |              |                | 10          |              |              |
|--------|-------------|--------------|------|----|----|-------|----|----|---------|----|----|---------|-----|-----------|----|--------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 43.    | हरदा :      |              | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | गेहूँ   | .. | .. | अधिक    | ..  | सामान्य   | .. | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
|        |             | हरदा         | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | चना     | .. | .. | कम      | ..  | ..        | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | खिड़किया     | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | ..      | .. | .. | ..      | ..  | ..        | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | सिराली       | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | ..      | .. | .. | ..      | ..  | ..        | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | रेहटगांव     | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | ..      | .. | .. | ..      | ..  | ..        | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | हॉडिया       | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | ..      | .. | .. | ..      | ..  | ..        | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
| टिमरनी | ..          | ..           | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | ..      | .. | .. | ..      | ..  | ..        | .. | ..           | ..             | ..          | ..           |              |
| 44.    | जबलपुर:     |              | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | गेहूँ   | .. | .. | अधिक    | 10% | सुधरी हुई | 5% | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
|        |             | आधारताल      | 13.4 | .. | .. | ..    | .. | .. | मसूर    | .. | .. | कम      | 40% | सामान्य   | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | कुण्डम       | 1.4  | .. | .. | ..    | .. | .. | मटर     | .. | .. | कम      | 25% | सामान्य   | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | सीहोरा       | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | ..      | .. | .. | ..      | ..  | ..        | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | पाटन         | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | ..      | .. | .. | ..      | ..  | ..        | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | मझौली        | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | ..      | .. | .. | ..      | ..  | ..        | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | शाहपुरा      | 1.3  | .. | .. | ..    | .. | .. | ..      | .. | .. | ..      | ..  | ..        | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
| पनागर  | ..          | ..           | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | ..      | .. | .. | ..      | ..  | ..        | .. | ..           | ..             | ..          |              |              |
| 45.    | कटनी :      |              | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | तुअर    | .. | .. | समान    | ..  | समान      | .. | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
|        |             | बहोरीबंद     | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | चना     | .. | .. | समान    | ..  | समान      | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | ढीमरखेड़ा    | 3.0  | .. | .. | ..    | .. | .. | मसूर    | .. | .. | सामान्य | ..  | सामान्य   | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | रीठी         | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | राईसरसो | .. | .. | समान    | ..  | सामान्य   | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | बड़वारा      | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | अलसी    | .. | .. | सामान्य | ..  | सामान्य   | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | मुड़वारा (क) | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | गेहूँ   | .. | .. | समान    | ..  | समान      | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | विजयराषवगढ़  | 1.5  | .. | .. | ..    | .. | .. | मटर     | .. | .. | समान    | ..  | समान      | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | बरही         | 13.4 | .. | .. | ..    | .. | .. | ..      | .. | .. | ..      | ..  | ..        | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
| 46.    | नरसिंहपुर : |              | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | गन्ना   | .. | .. | कम      | 10% | ..        | .. | 5. ..        | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
|        |             | नरसिंहपुर    | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | गेहूँ   | .. | .. | अधिक    | 15% | ..        | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | गोटेगांव     | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | चना     | .. | .. | कम      | 15% | ..        | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | करेली        | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | मसूर    | .. | .. | अधिक    | 15% | ..        | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | गाडरवारा     | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | मटर     | .. | .. | अधिक    | 20% | ..        | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |
|        |             | तेंदूखेड़ा   | ..   | .. | .. | ..    | .. | .. | ..      | .. | .. | ..      | ..  | ..        | .. | ..           | ..             | ..          | ..           | ..           |

[illegible]

| 1   | 2         | 3 | 4     | 5          | 5 (ब) | 6   | 7  | 8   |    |    |         |    |         | 9  |              |                | 10          |        |              |
|-----|-----------|---|-------|------------|-------|-----|----|-----|----|----|---------|----|---------|----|--------------|----------------|-------------|--------|--------------|
| 51. | बालाघाट : |   | .. .. | रोपाई चालू | ..    | ओला | .. | चना | .. | .. | सामान्य | .. | सामान्य | .. | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. . . | 8. पर्याप्त. |
|     | बालाघाट   |   | .. .. | ..         | ..    | ..  | .. | धान | .. | .. | सामान्य | .. | सामान्य | .. | ..           | ..             | ..          | ..     | ..           |
|     | लाँजी     |   | .. .. | ..         | ..    | ..  | .. | ..  | .. | .. | ..      | .. | ..      | .. | ..           | ..             | ..          | ..     | ..           |
|     | किरनापुर  |   | .. .. | ..         | ..    | ..  | .. | ..  | .. | .. | ..      | .. | ..      | .. | ..           | ..             | ..          | ..     | ..           |
|     | बैहर      |   | .. .. | ..         | ..    | ..  | .. | ..  | .. | .. | ..      | .. | ..      | .. | ..           | ..             | ..          | ..     | ..           |
|     | वारासिवनी |   | .. .. | ..         | ..    | ..  | .. | ..  | .. | .. | ..      | .. | ..      | .. | ..           | ..             | ..          | ..     | ..           |
|     | कटंगी     |   | .. .. | ..         | ..    | ..  | .. | ..  | .. | .. | ..      | .. | ..      | .. | ..           | ..             | ..          | ..     | ..           |
|     | लालबर्ग   |   | .. .. | ..         | ..    | ..  | .. | ..  | .. | .. | ..      | .. | ..      | .. | ..           | ..             | ..          | ..     | ..           |
|     | तिरोडी    |   | .. .. | ..         | ..    | ..  | .. | ..  | .. | .. | ..      | .. | ..      | .. | ..           | ..             | ..          | ..     | ..           |
|     | परसवाड़ा  |   | .. .. | ..         | ..    | ..  | .. | ..  | .. | .. | ..      | .. | ..      | .. | ..           | ..             | ..          | ..     | ..           |
|     | बिरसा     |   | .. .. | ..         | ..    | ..  | .. | ..  | .. | .. | ..      | .. | ..      | .. | ..           | ..             | ..          | ..     | ..           |
|     | खैरलाँजी  |   | .. .. | ..         | ..    | ..  | .. | ..  | .. | .. | ..      | .. | ..      | .. | ..           | ..             | ..          | ..     | ..           |

(525)

बी. बी. अग्निहोत्री,  
उप-आयुक्त,  
वास्ते-आयुक्त,  
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.